पत्र सं0– वि.प्रा. (III) यो.–14/2016–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज में पठन–पाठन के सफल संचालन के लिए क्रय किये गए 49 (उनचास) प्रायोगिक टेबल, 220 (दो सौ बीस) स्टूल एवं पुस्तकालय काउंटर के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल रू. 34,90,000=00 (चौंतीस लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के पत्रांक–02/विशेष, दिनांक 05.01.2019 द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान में में पठन–पाठन के सफल संचालन के लिए क्रय किये गए 49 (उनचास) प्रायोगिक टेबल, 220 (दो सौ बीस) स्टूल एवं पुस्तकालय काउंटर के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल रू. 34,90,000=00 (चौंतीस लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0109– पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021040109 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, गोपालगंज से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी। क्रय की गई सामग्रियों की प्रविष्ट संस्थान के भंडार पंजी में कराना प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे। प्राचार्य इसे सत्यापित करेंगे तथा इसके रख–रखाव की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰–14 / 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰–14 / 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰–14 / 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰–14 / 2016– 771 /पटना, दिनांक– 28/2/2019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव